पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2022 को राज्य में कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के तहत छात्रवृत्ति, पीएम केयर्स फंड का पासबुक और आयुष्मान भारत के हेल्थ कार्ड दिए गए।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य के लाभार्थियों में 18 ज़िलों के 49 बच्चे शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की शुरुआत 29 मई, 2021 को की गई थी। आरंभ में इस योजना का लाभ लेने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 फरवरी, 2022 तक कर दिया गया था।
- इसका लाभ लेने के लिये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन डॉट इन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था।
- इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ हैं-
  - माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 18 साल की उम्र तक सरकार मासिक भत्ता देगी।
  - 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि मिलेगी।
  - सरकार की ओर से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
  - उच्च शिक्षा के लिये बच्चों को लोन मिलेगा, लोन का ब्याज पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा।
  - आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक पाँच लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, जिसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड के माध्यम से भरा जाएगा।
  - बच्चे का नामांकन यदि प्राइवेट स्कूल में होता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसकी फीस पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी, साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म और किताब आदि का खरच भी केयर्स फंड से दिया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-cares-for-children-scheme-1